# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 72/2019
प्रविष्टि दिनांक 18–9–2019

श्रीमति सूजी पत्नि लाला जाट निवासी ग्राम बारेड़ा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**
**विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–8–2019**

उपस्थितिः (1) श्री दोतलराम चोधरी अपीलान्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22–2–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी–3 भूमि में से 1 बिस्वा वाके ग्राम बारेड़ा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 5 रूपये पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स को तहसीलदार निवाई द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये एक तरफा में निर्णय पारित किया है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 484 के अड़वा ही अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिसमें [illegible] ने अपना बाड़ा बना रखा है। पटवारी हल्का ने भूमि का सही रूप से [illegible] नहीं करके अपीलान्ट के मकान को उक्त खसरा नम्बर 484 [illegible] बताकर रंजिशवश व दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट की है। तहसील[illegible] करने से पूर्व पटवारी हल्का

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया ओर हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक उक्त भूमि बावत रिपोर्ट की है उस रिपोर्ट को आधार बना कर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा सजायाब करने में गल्ती की है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अपील का निर्णय एकतरफा में पारित किये जाने पर अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी दिनांक 11–9–2019 को पुलिसकर्मी द्वारा परिवारजनों के पास आया ओर उसने निर्णय के बारे में बताया तब तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया ओर नकल दिनांक 11–9–2019 को सांयकाल प्राप्त कर अपील करने में देरी को कण्डोन करने के लिए मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के साथ पेश कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने ग्राम बारेड़ा तह० निवाई की आराजी खसरा नम्बर 484 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी–3 भूमि में से 1 बिस्वा भूमि पर सुजी पत्नि लाला जाट निवासी बारेड़ा ने डोल लगा कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की विधिवत तामील हुई है अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रही है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था इनको विगत वर्ष सम्वत 2073 में खसरा नम्बर 484 से निर्णय दिनांक 9–11–2016 की पालना में ग्रामवासियों एंव भू०अ० निरीक्षक सिरस के समक्ष बेदखल किया गया था किन्तु अतिक्रमियों द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 1070/16 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 484 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी–3 भूमि में से 1 बिस्वा वाके ग्राम बारेड़ा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है अपीलान्ट सुजी पत्नि लाला जाट निवासी ग्राम बारेड़ा तह० निवाई ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश किया है कि मेरा भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी में से 1 बिस्वा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मेंने उक्त वर्णित आराजी से मेरा कब्जा हटा लिया है तथा मौके पर मेरा कोई कब्जा नहीं है ओर न हीं भविष्य में उक्त आराजी में कब्जा करूँगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:42:18 IST
Reason: SelfAttested

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–8–2019 द्वारा अपीलार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि तहसीलदार निवाई अपीलाण्ट द्वारा दिये

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

गये शपथ पत्र अनुसार विवादित भूमि की सीमाज्ञान कर मौके की जॉच करें ओर यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:12:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner